# न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 72/2020

उनवान

1 अर्जुनलाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी खूडालिया ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा

वादी

बनाम

1. राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

2 अर्जन
3 गोपाल } पि0 घीसा

4. अर्जुन
5 कल्याण } पि0 गणेश
6 नन्छू उर्फ नानूराम पुत्र गणेश

7 कालूराम
8. भागीरथ } पि0 मांगूराम

9. गोपाल
10 बाबूलाल } पि0 सरदारा
11 शैतान

12 चाना पत्नि जीता
13 देवकरण
14 रामचन्द } पि0 जीता
15 हरफूल

16 जयराम } पि0 प्रभूदयाल
17 मूलचन्द
18 मेवाराम पुत्र छोटूराम
19 रामेश्वर
20 सीताराम } पि0 मूला उर्फ मालीराम
21 रामकुवार पुत्र बदी

समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी खूडालिया गांव खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

## दावा बाबत दुरूती इन्द्राज एवं खातेदारी उद्घोषणा धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 31-3-2021

वादी की ओर से पेश वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1598, 1599, 1600, 1617 से 1619, 1621 से 1636, 1636/2555, 1637 से 1644 कुल किता 31 रकबा 14.13 है0 वाके ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी अपने हिस्सेनुसार खातेदार काबिज काश्त है। वादी की उक्त पुश्तैनी विरासत में प्राप्त भूमि जो पूर्व में वादी के पिता भूराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज थी। वादी के पिता की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तकरण में पटवारी हल्का खोरी द्वारा खोला गया उसमें सहवन से वादी का नाम अर्जुनलाल की जगह गद्या लिखा गया जो दुरूस्तनीय है। वादी के द्वारा अपनी भूमि पर बैंक ऋण हेतु जमाबन्दी निकलवाने पर उक्त नाम की गलती का पता होने पर यह वाद पेश किया गया तथा वादी का वास्तविक नाम अर्जुनलाल पुत्र भूराराम ही है उक्त नाम से वादी के ग्राम पंचायत खोरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र राशनकार्ड बैंक पासबुक आधार कार्ड जनआधार कार्ड आदि है जिनमें वादी का नाम अर्जुनलाल ही दर्ज है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि उक्त आराजी में प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती जाकर वादी को अनुतोष दिये जाने का अनुरोध किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण की ओर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी में वादी का हिस्सा 1/16 दर्ज है, उक्त आराजी में भूरा पुत्र रामरतन के विरासत के नामान्तकरण अनुसार वादी का नाम गद्या दर्ज हो गया था तथा वास्तव मे वादी का नाम अर्जुनलाल पुत्र भूराराम है साथ ही पटवारी हल्का ने यह भी जाहिर कि वादी अर्जुनलाल व गद्या दोनों एक ही

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

नाम के व्यक्ति है। वादी स्वंय तथा प्रतिवादी भागीरथ पुत्र मांगू गुर्जर, अर्जुनलाल पुत्र धीसा गुर्जर, रामेश्वर पुत्र स्व0 मूला उर्फ मालीराम जाति गुर्जर निवासीगण ,खोरी के शपथ पत्र पेश किया जाकर जाहिर किया कि वादी उक्त विवादित आराजी पर काबिज है तथा वादी के पिता के स्वर्गवास होने पर विरासत के नामान्तकरण में सहवन से वादी का नाम गद्या दर्ज हो गया जबकि सरकारी दस्तावेजात मे वादी का नाम अर्जुनलाल ही है। अर्जुनलाल व गद्या दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है।

वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दर्शाते हुए यह भी जाहिर किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में एक अशोभनीय नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो गया है जिसके नाम बोलने व पुकारने से लज्जा भी आती है जबकि वादी का वास्तविक नाम अर्जुनलाल है सभी दस्तावेजात में वादी का नाम अर्जुनलाल दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड में गद्या दर्ज होने से सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है। हमने राजस्व रिकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादी का सरकारी दस्तावेजात में नाम अर्जुनलाल होना सिद्व होता है तथा वादी के पिता भूराराम की विरासत का नामान्तकरण दर्ज के समय वादी का नाम सहवन से गद्या लिखा जाना भी साबित होता है, जो एक अशोभनीय नाम भी होना साबित होता है । राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम का सह खातेदारो के द्वारा पेश शपथ पत्रों के अवलोकन से भी यही जाहिर होता है कि वादी का नाम अर्जुनलाल ही है, ग्राम पंचायत खोरी व नायब तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार गद्या पुत्र भूराराम व अर्जुनलाल पुत्र भूराराम दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है। लेकिन विरासत के नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से वादी का नाम गद्या दर्ज कर दिया गया ~~जो कि~~। इस प्रकार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गद्या दर्ज होना एक अशोभनीय नाम होना साबित होता है तथा नाम दुरूस्त योग्य होना भी पाया जाता है। वादी गद्या/अर्जुनलाल के विरूद्व अन्य कोई वाद व उजरदारी होने पर स्वंय बाध्य रहेगा ।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 के खाता संख्या 79 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1598, 1599, 1600, 1617 से 1619, 1621 से 1636, 1636/2555, 1637 से 1644 कुल किता 31 रकबा 14.13 है0 वाके ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की वर्तमान में दर्ज नाम गद्या पुत्र भूरा हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर निवासी खोरी का नाम हजफ कर वादी अर्जुनलाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी खोरी हिस्सा 1/16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-3-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

31/3/21

( मनमोहन मीना )
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर ... जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी** :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
**वाद संख्या** :– 72/2020

**उनवान**

1 अर्जुनलाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी खूडालिया ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा

**वादी**

**बनाम**

1. राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
2 अर्जन
3 गोपाल } पि0 धीसा
4. अर्जुन
5 कल्याण } पि0 गणेश
6 नन्छू उर्फ नानूराम पुत्र गणेश
7 कालूराम } पि0 मांगूराम
8. भागीरथ
9. गोपाल
10 बाबूलाल } पि0 सरदारा
11 शैतान
12 चाना पत्नि जीता
13 देवकरण
14 रामचन्द } पि0 जीता
15 हरफूल
16 जयराम } पि0 प्रभूदयाल
17 मूलचन्द
18 मेवाराम पुत्र छोटूराम
19 रामेश्वर
20 सीताराम } पि0 मूला उर्फ मालीराम
21 रामकुवार पुत्र बदी

समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी खूडालिया गांव खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

**प्रतिवादीगण**

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

## दावा बाबत दुरूती इन्द्राज एवं खातेदारी उद्घोषणा धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 के खाता संख्या 79 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1598, 1599, 1600, 1617 से 1619, 1621 से 1636, 1636/2555, 1637 से 1644 कुल किता 31 रकबा 14.13 है0 वाके ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की वर्तमान में दर्ज नाम गद्या पुत्र भूरा हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर निवासी खोरी का नाम हजफ कर वादी अर्जुनलाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी खोरी हिस्सा 1/16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

निर्णय आज तारीख 31-3-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

( मनमोहन मीना )
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4 ____ रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय<br>6 कमिश्नर की फीस<br>7 आदेशिका की तामिल | / | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | / |
| जोड़ | | जोड़ | |

Scanned with CamScanner